मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-98/20-5/2002, भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, प्रीत विहार
नई दिल्ली.

विषयः- अशासकीय मैक्रोविजन ऐकेडमी बुरहानपुर खंडवा को सी०बी०एस०ई० से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय मैक्रोविजन ऐकेडमी बुरहानपुर (आनंद एज्यूकेशन टेक्नीकल एंड वोकेशनल समिति द्वारा संचालित) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली से संबद्धता हेतु प्रकरण विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

1/ संस्था को अपनी कार्यसमिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।

2/ नीतिगत निर्णयों में इन दोनो मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।

3/ म.प्र. शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये लिये गये निर्णयों में यदि संस्था को किन्ही कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।

4/ खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पडती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

5/ राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये यदि संस्था भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो इन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कु एम०एल०आर्य)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक एफ 73-98/20-2/2002, भोपाल, दिनांक 2-12-02
प्रतिलिपि:- आयुक्त, लोक शिक्षण,
2/ जिला शिक्षा अधिकारी, खंडवा,
3/ प्राचार्य/अध्यक्ष, मैक्रोविजन ऐकेडमी, बुरहानपुर जि. खंडवा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

M.L.Arya 2/12/02
अवर सचिव
म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग